प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.06.2025

ट्रांस हिंडन जोन पुलिस द्वारा "श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे वाहन चेंकिग अभियान के अन्तर्गत " यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहन/चालकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही।

दिनांक 23.06.2025 को ट्रांस हिंडन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में **"श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के अन्तर्गत "** बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना नम्बर प्लेट, गलत दिशा से आने वाले वाहन/चालकों आदि के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत पुलिस टीम द्वारा 41 स्थानों पर चेकिंग कर 5664 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 1990 वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये। इस अभियान के अंतर्गत ट्रांस हिंडन जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई।

थानावार कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है –

क्र0सं0	नाम थाना	चैक किये गये व्यक्तियों की संख्या	चालान किये गये वाहनों की संख्या
1	इन्दिरापुरम	1280	532
2	खोडा	1720	453
3	कौशाम्बी	345	123
4	साहिबाबाद	1053	420
5	लिंक रोड	358	125
6	शालीमार गार्डन	410	208
7	टीला मोड	498	129
कुल योग		**5664**	**1990**

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन व 760/- रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 23.06.2025 को थाना खोड़ा पर वादी सौरभ दूबे पुत्र श्री राम बहादुर दूबे निवासी सुभाष पार्क-2 खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक

21.06.2025 की रात्रि को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे घर से 03 मोबाइल फोन व 1500/- रुपये चोरी कर लिया गया है।

तत्काल थाना खोड़ा पुलिस द्वारा धारा 305 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 24.06.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाला शातिर अभियुक्त इकबाल पुत्र अख्तर अली निवासी मुल्ला कॉलोनी पार्किंग के सामने भिकारी के मकान में किराय पर घडोली दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष को इन्दिरापुरम अण्डरपास खोड़ा की तरफ 100 कदम दूरी थाना खोड़ा क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन व 760/- रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त इकबाल के विरुद्ध अन्तर्गत बीएनएस की धारा 305 में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त इकबाल से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त इकबाल ने दिनांक 21.06.2025 की रात्रि को वादी सौरभ दूबे के घर से 03 मोबाइल फोन व 1500/- रुपये की चोरी की थी। जिनमे से अभियुक्त इकबाल ने 01 मोबाइल फोन को राहे चलते व्यक्ति को 1000/- रुपये में बेच दिया था। आज दिनांक 24.06.25 को अभियुक्त इकबाल इन्दिरापुरम अण्डरपास से 100 मीटर आगे खोड़ा क्षेत्रान्तर्गत राहे चलते व्यक्तियों को 02 मोबाइल फोन बेचने की फिराक में घूम रहा था। अभियुक्त से बरामद 760/- रुपये चोरी के ही है बाकी रुपये अभियुक्त इकबाल ने अपने शौक मौज में खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

इकबाल पुत्र अख्तर अली निवासी मुल्ला कॉलोनी पार्किंग के सामने भिकारी के मकान मे किराय पर घडोली दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी के 02 मोबाइल फोन व 760/- रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त इकबाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 58 पव्वे अवैध शराब बरामद।

आज दिनांक 24.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्ता 1. बबिता पत्नी बब्लू निवासी गली न0-10 बुद्ध बाजार रोड राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 2. दुर्गावती पत्नी स्व0 नैनसिंह निवासी गली न0-06 राहुल गार्डन थाना लोनी

बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 58 पव्वे अलग-अलग ब्रांड के बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम व 111/112 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ताओं ने पूछताछ करने पर बताया कि हम चोरी छिपे सस्ते दामों में शराब खरीदकर लाती हैं तथा अधिक दामों पर उन्हे बेच देती हैं। हम पूर्व में भी जेल जा चुकी हैं। आज हम शराब लेकर आ रही थी कि पुलिस चेकिंग में पकडी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1.बबिता पत्नी बब्लू निवासी गली न0-10 बुद्ध बाजार रोड राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

2. दुर्गावती पत्नी स्व0 नैनसिंह निवासी गली न0-06 राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्ताओं के विरूद्ध उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्ता बबीता के विरूद्ध पूर्व से थाना लोनी बोर्डर पर आबकारी अधिनियम के 03 अभियोग, थाना मधुबन बापूधाम पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। **(कुल अभियोग-05)**

अभियुक्ता दुर्गावती के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर पूर्व से आबकारी अधिनियम के 05 अभियोग व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-07)**

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।